



2026:AHC:16384

उच्च न्यायालय, न्यायिक पीठ इलाहाबाद

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 814 वर्ष 2026

जनक

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : प्रदीप कुमार मिश्रा, राहुल कुमार मिश्रा, वेद प्रकाश मिश्रा

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : अम्बलेश्वर पाण्डेय, अनुज श्रीवास्तव, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. सूची पुनरक्षित की गई।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री वेद प्रकाश मिश्रा, सूचनाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अम्बलेश्वर पाण्डेय तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री राम मोहित यादव को सुना गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।
3. आवेदक द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 531 वर्ष 2025, धारा 103(1), 61(2) बी.एन.एस., थाना बागपत, जनपद बागपत में विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत की प्रार्थना की गई है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया कि समान परिस्थितियों वाले सह-अभियुक्त करण को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या 43486 वर्ष 2025 में दिनांक 10.12.2025 को पारित आदेश के माध्यम से जमानत प्रदान की जा चुकी है। अतः चूंकि आवेदक की भूमिका सह-अभियुक्त के समान है, जिसे पूर्व में जमानत प्रदान की जा चुकी है, इसलिए आवेदक भी समानता के आधार पर जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दिनांक 30.10.2025 से निरुद्ध है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।
5. जमानत की प्रार्थना का सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा जोरदार विरोध किया गया। तथापि, सह-अभियुक्त को समानता के आधार पर जमानत दिए जाने से संबंधित उपर्युक्त तथ्यात्मक पहलू का उनके द्वारा खंडन नहीं किया गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों तथा इस न्यायालय द्वारा *नन्हा पुत्र नाभान खाँ बनाम स्टेट ऑफ यूपी, 1993 CrI. L.J. 938* में पारित निर्णय तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारस राम विश्वाई बनाम निदेशक, केंद्रीय जांच ब्यूरो, *MANU/SCOR/22410/2021* एवं सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो एवं अन्य, (2022) 10 SCC 51 में पारित निर्णयों के आलोक में, न्यायालय का मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकार बनाता है। अतः समानता के आधार पर जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है।
7. आवेदक — जनक, जो उपर्युक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त है, को इस शर्त पर जमानत पर रिहा किया जाए कि वह संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान राशि के निजी मुचलके तथा दो जमानतदार प्रस्तुत करेगा। रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व जमानतदारों का सत्यापन किया जाएगा। साथ ही निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी—
- (i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्यों के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - (ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्षियों को किसी प्रकार से प्रभावित, भयभीत या दबाव में नहीं डालेगा।
 - (iii) आवेदक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।
8. उपर्युक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. यह स्पष्ट किया जाता है कि जमानत प्रदान करते समय की गई टिप्पणियाँ किसी भी प्रकार से विचारण न्यायाधीश को साक्षियों के कथनों के आधार पर स्वतंत्र राय बनाने से प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

दिनांक : 22 जनवरी, 2026

(रवि कांत)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।